राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1570/2012/झुंझुनूं

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–II, झुंझुनूं .....अपीलार्थी

बनाम

बेहलीम स्टोन सप्लायर्स,
डूंडलोद, झुंझुनूं। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प–जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 01/09/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 366/आरवेट/झुंझुनूं/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुंझुनूं (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दि. 23.11.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24(3),55,58(1),64 एवं 18(1) के तहत वर्ष 2008–09 में कायम कर राशि रूपये 18,450/–, ब्याज राशि रूपये 6,597/– एवं शास्ति 450/– कुल मांग राशि रूपये 25,497/– को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा अपनी रिटर्न में दर्शायी गई स्टोन की कर चुकाई गई बिक्री रूपये 1,43,780/– को कर योग्य स्टोन की बिक्री मानते हुए 90 रूपये प्रति टन की दर से वेट देय होने के कारण स्टोन की सर्वोत्तम विवेक से बिक्री 205 टन की बिक्री निर्धारित करते हुए उस पर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण करते हुए कुल मांग राशि 25,497/– कायम की। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2012 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रषित किया। जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

क्रमशः.....2

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त प्रतिप्रेषण आदेशों की पालना में सशक्त अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाना है। इसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस तामिल कराया गया था, परन्तु व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में कर देयता की जांच करने हेतु भी लिखा है। इस निर्देश की अनुपालना की जाना उचित है।

6. परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

7. आदेश प्रसारित किया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष